

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/2018


जयपुर, दिनांक 5.6.18

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.05.2018 द्वारा निर्देशित किया था कि वे इस विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना में कर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

उक्त आदेश के अनुसार कई अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आदिनांक तक पालना नहीं की गई है, जबकि आदेश दिनांक 03.07.2002 में यह स्पष्ट निर्देश है कि स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी। अतः सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 11.05.2018 की पालना 3 दिवस में आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

आज्ञा से


(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
3. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 3 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
- ✓ 4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव